न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—347/2015/75 (2015/00186)

1. श्री लक्ष्मी फ्लोर मिल्स प्रा0लि0 केसरपुरा जरिये प्रबंध निदेशक गोपाल साहनी पुत्र नाथूलाल साहनी, कार्यालय एच.एच.टी. औद्योगिक क्षैत्र ब्यावर रोड़, दौराई, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्**पोडेंट**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/12/12383 दिनांक 13.2.2012.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः— 13.9.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/12/12383 दिनांक 13.2.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नंबर 263 एवं 264 की औद्योगिक इकाई हेतु संपरिवर्तन भूमि पर स्थापित औद्योगिक इकाई पर आवागमन हेतु राजकीय भूमि खसरा नंबर 260 रकबा 2—12—00 बीघा भूमि में से 40 X 260- 10560 वर्गफुट भूमि यानि 12 बिस्वा भूतिम रास्ते के लिये आवंटन किये जाने हेतु आवेदन पत्र विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष पेश किया जिस पर विधिवत् कार्यवाही एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त कर तथा शासन उप सचिव, राजस्थान (ग्रुप—6) विभाग राजस्थान सरकार, जयुपर से अनुमोदन प्रापत कर उक्त 12 बिस्वा भूमि अपीलांट को रास्ते हेतु आवंटित किये जाने के आदेश पारित कर विद्वान जिलाधीश, अजमेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/06 दिनांक 11.1.2007 द्वारा 90900/—रू0 तहसीलदार, पीसांगन को जमा कराने के आदेश पारित किये गये । इस आदेश की पालना में चालान संख्या 214 दिनांक 9.2.

2007 से उक्त राशि तहसीलदार के समक्ष जमा करवा दी गई । तत्पश्चात् ग्राम पंचायत केसरपुरा व अन्य खातेदारान द्वारा दो विभिन्न अपील संख्या 50/2.007 व 86/2007 हाजा न्यायालय के समक्ष पेश की गई जिनको हाजा न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8.1.2008 के तहत निरस्त किया जाकर अपीलांट के हक में किये गये आवंटन को विधिवत् माना । उक्त आदेशों के विरूद्ध ग्राम पंचायत केसरपुरा व श्रीमती धापू व अन्य द्वारा अपील संख्या 418/2008 व 419/2008 मा0राजस्व मण्डल राज0, अजममेर के समक्ष पेश की गई । जिन्हें दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मान0 राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 4.3.2008 से सारभूत कानूनी बिन्दु निहित नहीं होने के कारण एडमिशन स्तर पर ही निरस्त कर दिया । तत्पश्चात् आवंटन आदेश की पालना में विधिवत् रूप से मौके एवं राजस्व रिकार्ड में पालना की जाकर आवंटित भूमि के तहत अपीलांट को रास्ता उपलब्ध करवा दिया गया । परन्तु विद्वान जिलाधीश अजमेर द्वारा विधिक प्रावधानों एवं विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपने नॉन स्पीकिंग आदेश दिनांक 13.3.2012 से अपीलांट के हक में किये गये आवंटन को गैर कानूनी रूप से निरस्त कर दिया । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस करते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विद्वान जिल कलक्टर ने किसी प्रकार से विधिक प्रावधानों एवं विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना तथा किसी भी प्रकार से अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया जिससे अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 का आदेश नॉनस्पीकिंग होकर आदेश की परिभाषा में नहीं आता है । बहस में आगे कथन किया कि खसरा नंबर 260 रकबा 2–12–00 बीघा सिवायचक भूमि में 12 बिस्वा भूमि विद्वान जिलाधीश, अजमेर ने अपीलांट के आवेदन पर राजस्व एजेन्सी से विधिवत् रूप से राजस्व रिकार्ड एवं मौके की जांच कराये जाने तथा शासन उप सचिव राजस्व विभाग जयपुर से विधिवत् मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने के उपरांत नियमानुसार डी0एल0सी0 दर से आवंटित भूमि की कीमत निर्धारित करते हुए अपीलांट से आवंटित भूमि की कीमत 90900/–रू0 तहसीलदार पीसांगन के समक्ष जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 11.1.2007 को पारित किये थे जिसकी पालना में अपीलांट द्वारा जरिये चालान संख्या 214 दिनांक 9.2.2007 को उक्त राशि तहसीलदार के समक्ष जमा करवा दी गई ऐसी स्थिति में स्वंय जिला कलक्टर को आदेश दिनांक 13.3.2012 पारित किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । बहस में आगे कथन किया कि राशि जमा कराने के बाद तहसीलदार द्वारा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर रास्ता भी उपलब्ध करवा दिया गया है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पालना हो जाने के बाद बिना किसी विधिक प्रक्रिया के एकपक्षीय रूप से निरस्त किये जाने का विधि के तहत कोई अधिकार विद्वान जिला कलक्टर को प्राप्त नहीं था । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपीलांट के हक में पारित आवंटन आदेश दिनांक 11.1. 2007 के विरूद्ध श्रीमती धापू व अन्रू तथा ग्राम पंचायत केसरपुरा द्वारा अपील संख्या 50/2007 व 86/2007 हाजा न्यायालय के समक्ष पेश की

गई थी जिनको हाजा न्यायालय द्वारा आदेश दिांक 8.1.2008 द्वारा अपीलांट के हक में हुए आवंटन को विधिसम्मत् होना मानकर खारिज किया गया है । इसी प्रकार श्रीमती धापू व अन्य एवं ग्राम पंचायत द्वारा मान0 राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की गई द्वितीय अपीलें भी मान0 मण्डल द्वारा खारिज की गई है । ऐसी स्थिति में मान0 मण्डल द्वारा पारित आदेश अंतिम हो चुका था तथा मान0 मण्डल के आदेश को निरस्त कराये बिना अपीलांट के हक में पारित आवंटन आदेश दिनांक 11.1.2007 को किसी भी प्रकार निरस्त नही किया जा सकता था । विद्वान जिला कलक्टर ने इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 13.3.2012 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के पक्ष में पारित आवंटन आदेश बहाल रखा जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है जिससे अपीलाधीन आदेश की तत्समय जानकारी नही हो सकी थी । आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.8.2015 को पटवारी हल्का के माध्यम से अपने स्वामित्व की भूमि एवं मिल्स को संभलाने के लिये जयपुर से अजमेर आने पर हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने अभिभाषक से राय लेकर तथा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सदभाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 8.9.2011 की पालना में प्रस्ताव निरस्त किया गया है । राज्य सरकार के निर्णय के विरूद्ध अपील हाजा न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 11.1.2007 द्वारा खसरा नंबर 260 रकबा 2–12–00 बीघा में से 12 बिस्वा भूमि अपीलांट के उद्योग हेतु रास्ते के लिये आवंटित की गई थी । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 13.3.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के क्रमांक प.1(159) राज–3/10, जयपुर के आदेश दिनांक 8.9.2011 से रास्ते बाबत् लिये गये पूर्ववर्ती प्रस्ताव को निरस्त करने बाबत् सूचित किया है । अधी0न्याया0 ने आवंटन आदेश को निरस्त करने के संबंध में स्वंय के स्तर पर कोई मूल आदेश पारित नही किया है बल्कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने केवल मात्र राज्य सरकार के निरस्ती आदेश की अनुपालना की है इसलिये मूल आदेश राज्य सरकार का दिनांक 8.9.2011 होने से एवं उसके विरूद्ध कोई चाराजोही किये बिना उक्त आदेश की अनुपालना दिनांक 13.2.2012 के विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील संधारण योग्य नहीं है । उपरोक्त

विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 13.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर